Indian J.Soc & Pol. 03(03):2016:51-54 **ISSN 2348-0084 (PRINT)**
(Special Print Issue: September, 2016) **ISSN 2455-2127(ONLINE)**

निशस्त्रीकरण : आधुनिक युग की मांग

अयोध्या नाथ त्रिपाठी[1]
[1]एसोसियेट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, उदित नारायण स्नातकोत्तर, महाविद्यालय,पडरौना, कुशीनगर, उ0प्र0 भारत

ABSTRACT

बदलते विश्व संरचना में, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का नियमन अर्थिक गतिविधियों से होने लगा है, वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर ने सीमाओं की प्रासंगिकता को कुछ कम किया है, विश्व और विश्व लोकमत बहुत कुछ भौतिक सुख सुविधाओं की आकांक्षा में अन्योन्याश्रितता की नयी परिभाषायें गढ़ने में लगा है ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि मानव सुख की प्रतिभूति शांति के साधनों का अनुगमन कर प्रदान किया जाय और उन समस्त कारकों का परित्याग किया जाय जो विश्व शांति और मानवीय सुख में बाधा बनते हैं। शस्त्र केवल आत्मरक्षा के साधन नहीं होते, युद्व की विभीषिका शस्त्रों के स्वरूप पर ही निर्भर हुआ करती है। इसलिए मानवीय सुख एवम् अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे विभीषक, स्वसंहारक शस्त्रों का परित्याग किया जाय और एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण का सृजन किया जाय जिसमें प्राणि मात्र को उन्मुक्त विकास का अवसर प्राप्त हो सके। प्रस्तुत शोध पत्र में इसी संकल्पना को सर्वकालिक आवश्यकता मानते हुए वर्तमान परिस्थितियों में निशस्त्रीकरण की प्रासंगिकता को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

***KEY WORDS:** निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण, एनपीटी, सीटीबीटी*

प्रथम विश्व युद्ध के विध्वंसकारी परिणामों ने राज्यों को एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के लिए विवश कर दिया, जो विधि के आदर भाव पर आधारित हो तथा विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित कर सके। दूसरी तरफ युद्ध के दौरान यूरोप तथा अमरिका में सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में एक प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को स्थापित किये जाने के विषय में काफी प्रचार हो रहा था तथा अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे थे, जो विश्व के लोगों को भविष्य में युद्ध की विभिषिका से तथा इसके विध्वंसक प्रभावों से बचा सकें। जनवरी 1918 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लायड जार्ज ने अपने एक महत्वपूर्ण भाषण में कहा– ''शस्त्रों के बोझ को सीमित करने तथा युद्ध की संभावनाओं को कम करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करनी चाहिए।(कपूर,2006 पृ0391) इस प्रकार राष्ट्र संघ का जन्म युद्ध के विपरीत शांति की प्रक्रिया के रूप में हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए यह आवश्यक था कि युद्ध की स्थिति से विश्व को सुरक्षित रखा जाय। अतः राष्ट्रसंघ के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वह पहले ऐसे साधनों को समाप्त करे, जो युद्ध को संभव बनाते है। इसलिए मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के शस्त्रों में कमी करने और उन्हें सीमित करने के लिए हर संभव प्रयास किए। निरस्त्रीकरण को व्यवहारिक राजनीति की सीमा में लाने के लिए जो पहला बड़ा कदम उठाया गया, वह था कि युद्ध में पराजित राष्ट्रों पर निरस्त्रीकरण को कारगर तरीके से लागू किया गया। शांति सन्धियों के अन्तर्गत जर्मनी, आस्ट्रिया, हगंरी और बलगेरिया ने अपने सशस्त्र बलों में बहुत अधिक कमी करना और उन्हें कम ही बनाये रखना स्वीकार कर लिया। जर्मनी में नौ सैनिक स्टाफ समाप्त कर दिया गया, और जर्मन सेना की अधिकतम सीमा 01 लाख सैनिक तय कर दी गई। गोला बारूद के कारखाने उखाड़ दिये गये, जर्मनी से पनडुब्बियॉ तथा सैनिक विमान बनाने या उसके प्रयोग का अधिकार छीन लिया गया।(शूमां,1941पृ0469)

इस प्रकार राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा में ऐसे उपबन्ध रखे गये, जो शस्त्रों के उत्पादन को नियन्त्रित करें तथा मौजूदा हथियारों में संभावित कमी करने से उत्पन्न राजनीतिक एवं आर्थिक प्रश्नों पर विचार कर सकें लेकिन 1924 तक राष्ट्रसंघ को निरस्त्रीकरण के प्रयासों में कोई खास सफलता नहीं मिली, परन्तु लोकार्नो संधियों पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद इस क्षेत्र में नयी आशा बंधी। 3 फरवरी 1932 को आर्थर हैंडरसन की अध्यक्षता में राष्ट्रसंघ का निरस्त्रीकरण सम्मेलन जनेवा में प्रारम्भ हुआ इस सम्मेलन में 61 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया परन्तु तत्कालीन परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं थी, उस समय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संकट शुरू हो चुका था और जापान मंचुरिया पर आक्रमण कर चुका था।

यद्यपि जेनेवा सम्मेलन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका, फिर भी इस सम्मेलन के कुछ लाभ अवश्य हुए,

1.Corresponding Author

इसका सर्वप्रथम लाभ यह हुआ कि निरस्त्रीकरण की कुछ समस्याएं अध्ययन तथा बहस द्वारा स्पष्ट हो गई। इसके अतरिक्त यह भी स्पष्ट हो गया कि निरस्त्रीकरण या शस्त्रों को कम करना तभी संभव है, जब इसके पहले सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। इस सम्मेलन ने राष्ट्रों को यह सबक सिखाया कि निरस्त्रीकरण के पहले सुरक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए। वास्तव में राष्ट्रसंघ तथा इसके द्वारा प्रयासों की असफलता का मुख्य कारण यह था कि सदस्यों ने अपने उत्तरदायित्वों को पूर्णरूप से नहीं निभाया।(गुडस्पीड,1967,पृ071)

प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद लगभग 16–17 वर्षों तक राष्ट्रसंघ द्वारा निरस्तीकरण की समस्या के समाधान के लिए सतत प्रयास किया गया, परन्तु परिणाम निराशाजनक ही रहा। राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की होड चलती रही और विश्व बड़ी द्रुत गति से विनाश की ओर भागता रहा। अतः राष्ट्र संघ द्वारा निरस्तीकरण के प्रयासों की असफलता, राष्ट्रसंघ की असफलता न होकर राष्ट्र संघ को स्थापित करने वाले राष्ट्रों की असफलता थी। राष्ट्रसंघ द्वारा आयोजित निरस्तीकरण सम्मेलन में कोई भी राष्ट्र निरस्तीकरण करके विश्वशांति की स्थापना करने नहीं आया था। उनका मुख्य उद्देश्य अपनी प्रभुता बढ़ाना और अपने प्रतिपक्षी के शक्ति को सीमित करना था ऐसी स्थिति में निरस्तीकरण के प्रयासों की असफलता पूर्व निश्चित थी। अतः ''निरस्तीकरण सम्मेलन किसी भी क्षण सही अर्थ में राष्ट्र संघ का सम्मेलन नहीं था उसमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का अभाव था यह एक राजनीतिक सम्मेलन था जिसका उद्देश्य यूरोप में शक्ति सन्तुलन बनाये रखना था।(जिमर्न,1936पृ0415) राष्ट्रसंघ जिसका उद्देश्य विश्व को भावी युद्ध से बचाना था, द्वितीय महायुद्ध को रोकने में असफल हो गया और महायुद्ध की लपटों में राष्ट्रसंघ का कल्पतरू झुलस कर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हालाँकि राष्ट्रसंघ पहली संस्था थी जिसने मानव जाति को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक कार्यवाही का पाठ पढ़ाया।

संयुक्त राष्ट्र और निरस्तीकरण :

राष्ट्र संघ के निरस्तीकरण प्रयासों की असफलता के बावजूद विश्व के राजनीतिज्ञों ने निरस्तीकरण की आशा नहीं छोड़ी। 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल तथा अमरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट अटलांटिक महासागर में एक युद्ध पोत पर मिले और विश्व के उत्तम भविष्य के लिए 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर की घोषणा स्वीकार की। द्वितीय विश्वयुद्ध में अणु बम के प्रयोग और अमरिका द्वारा उसके उत्पादन ने सारी स्थिति को ही बदल दिया। अब निरस्तीकरण पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया, लेकिन समस्या का समाधान और भी कठिन हो गया। अतः विश्व के राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में यह प्रतिबद्धता प्रकट की निरस्तीकरण की समस्या का समाधान वे उसी प्रतिबद्धता से करेंगें, जिस प्रतिबद्धता से उन्होंने जर्मनी को परास्त किया था इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद सामान्य निरस्तीकरण की आशाएँ पुनः बधने लगीं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के 26 जून 1945 के घोषणा पत्र में भी निरस्तीकरण के लिए उपबन्ध किया गया था। राष्ट्रसंघ की संविदा में जहाँ एक ओर शस्त्रों को कम करने का प्रावधान था, वही संयुक्त राष्ट्र चार्टर में शस्त्रों के नियंत्रण पर अधिक जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावना में भी कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भावी पीढ़ियों को युद्ध के प्रकोप से बचाने के लिए की है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 24 जनवरी 1946 के प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र परमाणु उर्जा आयोग की स्थापना की, जिसके सदस्यों में सुरक्षापरिषद के सभी सदस्यों के साथ कनाडा भी था। इसका प्रधान उद्देश्य था ''एक योजना की रचना, जिसके अन्तर्गत राष्ट्र परमाणु शक्ति के उत्पादन को अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के अन्तर्गत रखने को तैयार हो जायँ, ताकि इसके केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग की व्यवस्था की जा सके तथा आणविक व सामूहिक विनाश के अन्य सभी शस्त्रों का पूर्ण निषेध किया जा सके।'' निरस्तीकरण की दिशा में यह महासभा का महत्वपूर्ण कार्य है। 1945 और 1946 के इन दो वर्षों में निरस्तीकरण वार्ता का एक मात्र विषय परमाणु उर्जा ही था।

सुरक्षापरिषद के तत्वावधान में पारम्परिक हथियार आयोग की स्थापना 13 फरवरी 1947 को की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य हथियारों के विनियमन और उसमें कमी करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना था सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य इसके सदस्य थे। 11 जनवरी 1952 को छठी महासभा ने संयुक्त राष्ट्र ''निरस्तीकरण आयोग'' की स्थापना की, जिसने परमाणु उर्जा आयोग एवं परम्परागत शस्त्र आयोग, दोनों का स्थान ले लिया। निरस्तीकरण आयोग को एक उपसन्धि का प्रारूप बनाने का कार्य सौपा गया जिससे ''सब सशस्त्र सेनाओं और सब आयुधों का विनियमन एवं सीमा निर्धारण और उनकी सन्तुलित कमी हो सके, संहार के काम आ सकने वाले सब बड़े हथियारों को समाप्त किया जा सकें और परमाणु उर्जा पर कारगर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण लगाया जा सकें, ताकि परमाणु हथियारों पर रोक लगाना और परमाणु उर्जा का सिर्फ शांतिमय कामों के लिए उपयोग होना सुनिश्चित हो जाये।(कुमार,पृ0446) लेकिन विश्व राष्ट्रों के नकारात्मक रूख के कारण यह आयोग भी निरस्तीकरण के प्रयास में असफल रहा।

जुलाई 1955 में जनेवा में हुए शिखर सम्मेलन में अमरिका ने अपने पहले की नीति को त्याग दी, जिसमें परमाणु निरस्तीकरण के लक्ष्य को आयुध नियन्त्रण की योजना बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण समझा जाता था। इसी समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहावर ने 'उन्मुक्त आकाश योजना (Open Skies Plan) रखा। जिसमें अमरिका तथा सोवियत संघ दोनों को एक दूसरे के आकाश पर निरीक्षण करने के अधिकार का उल्लेख था। 18 सितम्बर 1959 में सोवियत प्रधानमंत्री ने यह प्रस्ताव रखा कि चार वर्षों के भीतर सामान्य एवं पूर्ण निरस्तीकरण किया जाय। उसी वर्ष सितम्बर में कैम्प डेविड में बातचीत के बाद अमरिका और सोवियतसंघ के राष्ट्राध्यक्षों ने विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह घोषणा की कि ''निरस्तीकरण का प्रश्न 'आज दूनिया के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है' विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि दोनों सरकारें इस समस्या का कोई रचनात्मक हल अवश्य ढूढेंगी।'' 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की राजनीतिक समिति ने परमाणु अस्त्रों के निर्माण एवं प्रसार पर नियनत्रण का प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि परमाणु विहीन राष्ट्र परमाणु अस्त्रों का निर्माण न करें और परमाणु आयुध सम्पन्न राष्ट्र इसका निर्माण बंद कर दें।

निशस्तीकरण दशक 1970–1980 :

1970 से लेकर अगले 10 वर्ष निरस्तीकरण वर्ष घोषित किया गया। इसके आरम्भ होने के कुछ समय वाद ही 5 मार्च 1970 को अणु अप्रसार सन्धि, 1968 लागू हो गई। निरस्तीकरण के विषय में विचार करने के लिए 23 मई से 31 जुलाई 1978 तक संयुक्त राष्ट्र का विशेष अधिवेशन आमन्त्रित किया गया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई ने संयुक्त राष्ट्र में अपना भाषण देते हुए कहा कि ''हमने अपने आप यह संकल्प लिया है कि हम परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे और न इन्हें कहीं से प्राप्त करेंगे।(तिवारी, 2006, पृ0226)

1980 से 1990 तक निरस्तीकरण का द्वितीय सत्र आरम्भ हुआ जिसमें निरस्तीकरण सम्बन्धी कुछ मुद्दो पर कार्य किये गये। द्वितीय विशेष सत्र 7 जून 1982 को आरम्भ हुआ इसमें 157 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव की परमाणु अस्त्रों के पहले प्रयोग न करने की घोषणा को महासभा की उपलब्धि कहा जा सकता है। लेकिन अमेरिकी विदेश सचिव अलेक्जेण्डर हेग ने इसे सोवियत संघ का प्रचार मात्र कहकर इसके महत्व को कम करने का प्रयास किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से निरस्तीकरण के लिए विश्व का आह्वान किया लेकिन इस प्रश्न पर बुनियादी रूप से दोनों देशों के मध्य कोई सहमति नहीं दिखाई पड़ी। न्यूयार्क में 7 मई से 29 मई 1990 तक होने वाले अपेन नियमित सत्र में निरस्तीकरण कमीशन ने 1991 से 2000 तक के वर्षो को तृतीय निरस्तीकरण वर्ष घोषित करने की संस्तुति की तथा इसके लिए एक घोषणा को अन्तिम रूप दिया।

व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (Comprehensive Test Ban Treaty) विश्व भर में किये जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई सन्धि है, जिसका 1993 में भारत, अन्य देशों के अलावा अमेरिका के साथ सह प्रस्तावक था। सन् 1994 में व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि की वार्ता प्रारम्भ हुई और इसी परिदृश्य में जनेवा में (13 मई से 18 जून 1996) 38 प्रतिनिधियों में वार्ता हुई लेकिन वार्ता के उपरांत जो प्रारूप तैयार किया गया उसपर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया क्योंकि भारत का यह दृष्टिकोण था कि प्रस्ताव ऐसा होना चाहिए जिससे दूनिया से पूरी तरह परमाणु हथियार समापत किये जा सकें। भारत, भूटान और लीविया के विरोध एवं कुछ राष्ट्रों के वहिष्कार के वावजूद 11 सितम्बर 1996 को महासभा ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के प्रारूप को स्वीकार कर लिया। व्यापक परमाणु प्रतिबन्ध सन्धि अत्यन्त विवादास्पद रहा फिर भी ''सितम्बर 2004 तक इस सन्धि पर 117 देशों ने हस्ताक्षर कर दिये। 7 फरवरी 2012 को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वान की मून ने भारत सहित आठ देशों से सी0टी0बी0टी0 (व्यापक परमाणु प्रसार निरोधक सन्धि) पर हस्ताक्षर करने की अपील की।''(सिंह,2013पृ0342) संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से निरस्तीकरण के अनेक प्रयास किये गये, विशेषकर महासभा के द्वारा। परन्तु संयुक्त राष्ट्र निरस्तीकरण के मामले में अब तक असफल रहा। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र में यह क्षमता नहीं है कि वह आणविक शस्त्रों को रखने वाले राष्ट्रों को निरस्तीकरण के लिए बाध्य कर सकें। इसके पास ऐसे कोई उपाय नहीं है जिनके द्वारा उन राष्ट्रों को बहुमत वाले राष्ट्रों की इच्छा के अनुसार झुका सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय दोनों विश्वयुद्धों के पश्चात् निरस्तीकरण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आये। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् निरस्तीरकण के जो प्रयास हुए वे कहीं न कहीं भेद भावपूर्ण थे जिसके परिणामस्वरूप द्वितीय विश्वयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने भले ही पूर्ण निरस्तीकरण के लक्ष्य को न प्राप्त किया हो लेकिन इसकी उपस्थिति के कारण ही विश्व किसी तीसरे विश्वयुद्ध की विभिषिका से बचा हुआ है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र का

पूर्ण निरस्तीकरण का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सका, तो इसका एक प्रमुख कारण महाशक्तियों के द्वारा अपने विशेषाधिकारों का अनुचित प्रयोग रहा है। आज अमरीका का विश्व व्यवस्था में वर्चस्व बना हुआ है, वहीं रूस और चीन अपने को कमतर नहीं समझतें। चीन किसी भी निशस्तीकरण समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के पक्ष में नहीं दिखता। उत्तर कोरिया इसका ताजा उदाहरण है। जब से खाड़ी युद्ध (द्वितीय) की संभावना प्रकट हुई, तभी से संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगने लगे थे साथ ही संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में सुधार पर भी बल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि पिछले कुछ दिनों में यह साफ हो गया है कि विश्व के लोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदत्त अनुमति को वैध और साकार मानते है तथा अधिक महत्व देते है। ऐसे वक्तव्यों से स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा परमाणु हथियारों के नियनत्रण की दिशा में प्रयासरत है। इसके वावजदू उत्तर कोरिया लगातार संकट पैदा कर रहा है मिशाइल एवं परमाणु परीक्षण को जारी रखे हुए है अमेरिका, रूस, चीन आदि सशक्त देश भी उसे रोकने में अपने को अक्षम पा रहे है। भारत का दृष्टिकोण सदैव निरस्तीकरण के पक्ष में रहा है तथा भारत लगातार यह प्रयास कर रहा है कि शस्त्रों की होड़ को सीमित किया जाय लेकिन अपनी सुरक्षा को बनाये रखते हुए।

सन्दर्भ

कपूर, एस0के0 (2006) : *मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि,* इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी,

शूमां, एल0 फेड्रिक (1941) : *इण्टरनेशनल पालिटिक्स* तृतीय संस्करण, न्यूयार्क,

गुडस्पीड, एस स्टीफेन (1967): *द नेचर एण्ड फंक्शन ऑफ इण्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन,* न्यूयार्क, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

जीमर्न अलफ्रेड(1936) : *द लीग आफ नेशन्स एण्ड द रूल ऑफ लॉ,* लन्दन, मैकमिलन एण्ड कम्पनी,

कुमार, महेन्द्र : *अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष* मेरठ, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी,

तिवारी, ओम प्रकाश (2006) : *राष्ट्रीय सुरक्षा,* पटना, ज्ञानदा प्रकाशन, पृ0 226.

सिंह, लालजी (2013) : *राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा,* बरेली, प्रकाश बुक डिपो, 2013, पृ0 342.